

बाढ़ से जीयब, बाँध से मरब

बाढ़-नियंत्रण की
राजनीति

पंकज कुमार झा

पानी के अनेक रूपों में बाढ़¹ को सर्वाधिक प्रलयकारी माना गया है। अमूमन बाढ़ को देखने के दो प्रमुख नज़रिये हैं।² पहला है राज्यवादी जो हाइड्रॉलॉजिकल ज्ञान से प्रेरित है। इसकी मान्यता है कि बाढ़ से

¹ बाढ़ के बारे में मेरी अब तक की समझ में महत्वपूर्ण योगदान बाढ़ गुरु डॉ. दिनेश मिश्रा का है. शोध के दौरान डॉ. मिश्रा की रचनाओं ने इस विषय पर मेरी रुचि व सोच को और पुख्ता और गहरा किया. यह शोध-पत्र बाढ़-नियंत्रण की राजनीति को विस्तार से समझने की कोशिश करता है. इसके तहत अंतर्विषयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है और फ्रील्ड वर्क के लिए चयनित गाँवों का ब्योरा विस्तार से प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी है. साथ में यह शोध-पत्र वैकल्पिक समाधान की सम्भावनाओं को तलाशने की कोशिश भी करता है.

² वास्तविकता यह है कि बाढ़ के सभी रूप प्रलयकारी नहीं होते. बाढ़ के विभिन्न रूपों के लिए देखें, पंकज कुमार झा (2016).

मुकाबला करने की युक्ति राज्य के पास है। यह दृष्टिकोण बाढ़-नियंत्रण के समाधान के रूप में नदी-घाटी परियोजनाओं, ऊँचे बाँध और तटबंध जैसे संरचनात्मक उपाय प्रस्तावित करता है। इससे बिलकुल अलग स्थानीय स्तर पर बाढ़ के नियंत्रण व प्रबंधन का एक दूसरा नज़रिया दिखाई पड़ता है। इसे 'बाढ़ के साथ सहयोजन या लिविंग विद फ़्लड्स' के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टिकोण के मुताबिक नदी-किनारे रहने वाली आबादी जानती है कि बाढ़ के साथ कैसे जिया जा सकता है। इन लोगों के पास बाढ़-नियंत्रण व प्रबंधन के अपने स्थानीय देशज उपाय व युक्तियाँ होती हैं।

यही है वह पृष्ठभूमि जिसमें यह शोध-पत्र बिहार में कटिहार ज़िले के कदवा प्रखण्ड स्थित दो गाँवों (भर्री व सगुनिया) का अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें रिवर साइड व कंट्रीसाइड स्थित गाँववालों के बाढ़ संबंधी अपने-अपने अनुभवों को प्रस्तुत किया गया है। इन लोगों के मन में बाढ़-बाँध के प्रति क्या सोच है; राज्य जब बार-बार बाँध को बाढ़-नियंत्रण का कारगर औज़ार मानता है तो फिर क्यों स्थानीय आबादी विरोधस्वरूप तटबंधों को काटती है; बाढ़ से क्या कोई उनका सांस्कृतिक संबंध रहा है; बाढ़ का पानी आने या न आने से उनकी किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस अनुसंधान में ऐसे ही कई मूलभूत सवालों को विस्तार से देखने की कोशिश की गयी है। हालाँकि शोध का मूल सवाल इन दोनों ही दृष्टिकोणों में मौजूद विरोधाभास की राजनीति भी समझना है। इस विरोधाभास को बाढ़ संबंधी सरकारी नीति व स्थानीय लोक-ज्ञान के बीच के विरोधाभास एवं ज्ञानमीमांसाओं के बीच की टकराहट के रूप में भी समझा जा सकता है।

शोध-पत्र चार भागों में विभाजित है। पहला भाग बाढ़ से जुड़े समाजशास्त्रीय साहित्य को वर्गों में बाँट कर उसकी समीक्षा करता है। दूसरा भाग शोध के दौरान अपनाई गयी शोध-पद्धति के विभिन्न पक्षों को विस्तार से समझाने की कोशिश करता है। तीसरा हिस्सा अपने फ़्रील्ड वर्क के लिए चयनित गाँवों, वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक-आर्थिक पक्षों के तहत होने वाली बाढ़-नियंत्रण की राजनीति को विस्तार से प्रस्तुत करता है। चौथे हिस्से के अंतर्गत उपलब्ध साहित्य व फ़्रील्ड वर्क से प्राप्त जानकारियों के आधार पर उनकी आलोचनात्मक पड़ताल की गयी है और वैकल्पिक बाढ़-नीति की सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

I

बाढ़-बाँध से संबंधित साहित्य : एक समीक्षा

बाढ़ और बाँध से जुड़े साहित्य को तीन वर्गों में बाँट कर देखा जा सकता है। पहले वर्ग में वह साहित्य है जिसके अंतर्गत राज्यवादी हाइड्रॉलॉजिकल प्रविधि पर विशेष फ़ोकस किया गया है। यह पूरा दृष्टिकोण ऊँचे बाँध के निर्माण को बाढ़-नियंत्रण के कारगर उपाय के रूप में देखता है। दूसरे वर्ग के अंतर्गत बाढ़-नियंत्रण से जुड़े स्थानीय ज्ञान एवं सामुदायिक प्रबंधन को मज़बूत करने पर बल दिया जाता है। इस वर्ग के दो हिस्से हैं। पहले में स्थानीय समाज का ज्ञान है जबकि दूसरा इंजीनियरिंग ज्ञान से अभिप्रेरित इंजीनियरों की समझ-बूझ व ज्ञान में आये बदलाव को इंगित करता है। तीसरा वर्ग समन्वयकारी तरीके से दोनों ही दृष्टिकोणों (स्थानीय व हाइड्रॉलॉजिकल) के बीच सहयोजन कराने पर बल देता है।

पहला दृष्टिकोण नेहरूवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें बड़े-बड़े बाँधों को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी गयी है।³ इसी आधार पर यह दृष्टिकोण बाढ़-नियंत्रण के लिए ऊँचे बाँध,

³ गौरतलब है कि भाखड़ा नांगल परियोजना के वक्ता जवाहर लाल नेहरू ने कहा था 'मेरे खयाल से आज के सबसे बड़े मंदिर, मस्जिद, और गुरुद्वारे वहीं तो हैं जहाँ लोग मानव-कल्याण कार्य में जुटे हुए हों, ऐसे में भाखड़ा नांगल से उत्कृष्ट और क्या हो सकता है?' सत्यजीत सिंह (1997) में उद्धृत।

रिंग बाँध, तटबंध आदि को सबसे कारगर उपाय के रूप में देखता है। इस वर्ग में इंजीनियर, सिंचाई-वैज्ञानिकों और नेताओं की राय को विशेष अहमियत दी जाती है। इस संदर्भ में हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथन को देख सकते हैं। उन्होंने कोसी बाढ़ त्रासदी के वक्त कहा था, 'बिहार तब तक बाढ़ की त्रासदी से मुक्त नहीं हो सकता, जब तक नेपाल में ऊँचे बाँध का निर्माण नहीं कर दिया जाता।⁴ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बाँधों के समर्थक समूह आइकोल्ड⁵ द्वारा बड़े बाँधों को प्रगति व विकास का सूचक बताया गया है। बड़े बाँधों की परिभाषा बताती है कि बड़े बाँध वे होते हैं जिसकी सबसे निचली नींव से शीर्ष तक की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक हो। किंतु यदि कोई बाँध 10-15 मीटर के बीच की ऊँचाई का हो तो भी उसे बड़ा बाँध कहा जा सकता है, बशर्ते कि वह अन्य निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता हो (मसलन शीर्ष की लम्बाई 500 मीटर से अधिक हो, जलाशय की क्षमता 10 लाख घन मीटर से अधिक हो, अधिकतम बाढ़ डिस्चार्ज 2000 क्यूसेक से अधिक हो या यदि उसकी नींव में कोई पेचीदा समस्या न हो या वह असाधारण डिजाइन का हो)। गौरतलब है कि इस संवर्ग से जुड़े विचारक बड़े बाँधों को लागत-मुनाफ़ा अनुपात (बीसी रेशियो) के लिहाज़ से भी लाभदायक व किफ़ायती मानते हैं। ध्वन जैसे सिंचाई-अर्थशास्त्री के अनुसार बड़ी विकास परियोजनाएँ छोटी परियोजनाओं की तुलना में अधिक किफ़ायती होती हैं।⁶

दूसरा दृष्टिकोण सामुदायिक नज़रिये से बाढ़ संबंधी पक्षों को देखने की कोशिश करता है। इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहला विचार बाढ़ को परम्परा व संस्कृति का अटूट हिस्सा मानता है। इससे जुड़े प्रमुख विशेषज्ञ विचारक दिनेश मिश्रा, अनुपम मिश्र आदि हैं। दिनेश मिश्रा ने अपने लेख 'लिविंग विद् फ़्लड्स' में बाढ़ को पारम्परिक समाज का एक अभिन्न हिस्सा मानते हुए उसके साथ सहयोजन पर बल दिया है।⁷ दिनेश मिश्रा ने बिहार के मधुबनी स्थित झंझारपुर प्रखण्ड स्थित परतारपुर गाँव का हवाला देते हुए बताया है कि वहाँ चार तालाब थे। सबसे बड़ा तालाब बलान नदी से जुड़ा था।⁸ शेष तालाब बड़े तालाब से जुड़े थे। बरसात के मौसम में जब बलान नदी में पानी बढ़ता तो उसके सहारे बड़े और सभी अन्य तालाबों में भी अतिरिक्त पानी जमा कर लिया जाता था। एक बार जब तालाब भर जाता तो उसके नाले का मुँह बंद कर दिया जाता था। इसे अगले साल खोला जाता था।⁹ चारों तालाब करीब 35 एकड़ ज़मीन पर फैले हुए थे। इनके पानी की सहायता से रबी की फ़सल, दलहन व तिलहनों के लिए पानी की ज़रूरत के साथ-साथ रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी होती थीं। तालाब में पानी भरे होने कारण कुएँ कभी सूखते नहीं थे। यही कारण था कि बलान की बाढ़ का किसानों द्वारा बेसब्री से इंतज़ार किया जाता था।¹⁰ गौरतलब है कि दिनेश मिश्रा की बातों को आगे बढ़ाते हुए नदी-तालाब जैसे प्राकृतिक संसाधनों के विशेषज्ञ अनुपम मिश्र अपने लेख 'तैरने वाला समाज आज डूब रहा है' में कहते हैं कि बाढ़ अतिथि नहीं है।¹¹ यह अचानक नहीं आती। इसके आने

⁴ पंकज कुमार झा (2009).

⁵ आर. रंगाचारी (2010).

⁶ बी.डी. ध्वन (1989).

⁷ दिनेश मिश्रा (2001).

⁸ वही.

⁹ वही.

¹⁰ किसान ही नहीं महिलाएँ भी बलान नदी की बाढ़ का स्वागत करती रही हैं। मधुबनी स्थित बलान नदी से प्रभावित इलाके में महिलाओं द्वारा मैथिली भाषा में बलान नदी से आने वाले बाढ़ के पानी का स्वागत 'ऐल बलान त बनल दलान, गेल बलान त टूटल दलान' नामक मैथिली भाषा के गीत से किया जाता है। इसका अर्थ है जब बलान नदी में बाढ़ का पानी हिलोरे मारता है, खेती-बाड़ी किसानों भी बेहतर होती है। उन्नत किसानों के कारण अन्न की इतनी उपज़ होती है कि दालान में अन्न के गोदाम बनाने पड़ते हैं। जैसे ही बलान की नदियों में बाढ़ का पानी थमने लगता है, फ़सल कम होने लगती है, फ़सल के अभाव में दालान को भी तोड़ दिया जाता है।

¹¹ अनुपम मिश्र (2008).



नदी के कटाव से पलायन करते लोग

अनुपम मिश्र कहते हैं कि बाढ़ अतिथि नहीं है। यह अचानक नहीं आती। इसके आने की तिथियाँ बिलकुल पक्की हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है तो हम कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि यह अचानक आयी विपत्ति है। इसके पहले जो तैयारियाँ करनी चाहिए, वे बिलकुल नहीं कर पाते। इसलिए बाढ़ की मारक क्षमता पहले से अधिक बढ़ जाती है। पहले शायद हमारा समाज बिना इतने बड़े प्रशासन के या बिना इतने निकम्मे प्रशासन के अपना इंतज़ाम बखूबी करना जानता था। इसलिए बाढ़ आने पर वह इतना परेशान नहीं दिखता था। बाढ़ के पानी की महत्ता का जिक्र करते हुए अनुपम मिश्र कहते हैं कि उत्तर बिहार का पूरा इलाक़ा अपनी सम्पन्नता के लिए जाना जाता है। वहाँ धान की ऐसी क्रिस्में रही हैं जो बाढ़ के पानी के साथ-साथ खेलती हुई ऊपर उठती थीं और बाढ़ को विदा कर खलिहान में आती थीं।

की तिथियाँ बिलकुल पक्की हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है तो हम कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि यह अचानक आयी विपत्ति है। इसके पहले जो तैयारियाँ करनी चाहिए, वे बिलकुल नहीं कर पाते। इसलिए बाढ़ की मारक क्षमता पहले से अधिक बढ़ जाती है। पहले शायद हमारा समाज बिना इतने बड़े प्रशासन के या बिना इतने निकम्मे प्रशासन के अपना इंतज़ाम बखूबी करना जानता था। इसलिए बाढ़ आने पर वह इतना परेशान नहीं दिखता था।¹² बाढ़ के पानी की महत्ता का जिक्र करते हुए अनुपम मिश्र कहते हैं कि उत्तर बिहार का पूरा इलाक़ा अपनी सम्पन्नता के लिए जाना जाता है। वहाँ धान की ऐसी क्रिस्में रही हैं जो बाढ़ के पानी के साथ-साथ खेलती हुई ऊपर उठती थीं और बाढ़ को विदा कर खलिहान में आती थीं।¹³

इस नज़रिये के अंतर्गत एक अन्य पक्ष है जिसकी नुमाइंदगी हाइड्रॉलॉजिकल ज्ञान से विरक्त इंजीनियरों द्वारा की जाती है। इसमें प्रमुख रूप से कपिल भट्टाचार्य, श्रीपाद धर्माधिकारी जैसे इंजीनियरिंग के जानकारों को रखा जा सकता है। कपिल भट्टाचार्य¹⁴ ने बांग्ला में प्रकाशित अपने लेख 'दामोदेर परिकल्पनेर समाकषकर चाही' में दामोदार नदी घाटी परिकल्पना से होने वाले खतरे के बारे में उसके निर्माण काल में ही आगाह करवा दिया था।¹⁵ दामोदेर परियोजना के साथ-साथ फ़रक्का बाँध की भी

¹² वही.

¹³ वही.

¹⁴ गौरतलब है कि कपिल भट्टाचार्य के इस दूरदर्शी नज़रिये के लिए ही आशिस नदी ने उन्हें हिंदुस्तान का प्रथम आधुनिक पर्यावरणविद् कहा है। देखें, आशिस नदी (2002); महेश रंगराजन (2007).

¹⁵ कपिल भट्टाचार्य (1986).



बाढ़ के साथ सहयोजन

दामोदर परियोजना के साथ-साथ फ़रक्का बाँध की भी कपिल भट्टाचार्य ने आलोचना करते हुए इससे होने वाले बाढ़ जैसे ख़तरों की तरफ़ इशारा किया था।... यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस परियोजना से इलाक़े की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्यगत स्थिति तो बिगड़ी ही, विकास की असंतुलित और एकांगी प्रक्रिया ने पूरे इलाक़े में पर्यावरणीय क्षति को इतना बढ़ा दिया कि इलाक़े की कई नदियाँ मृतप्राय हो गयीं।

कपिल भट्टाचार्य ने आलोचना करते हुए इससे होने वाले बाढ़ जैसे ख़तरों की तरफ़ इशारा किया था।¹⁶ कपिल भट्टाचार्य की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस परियोजना से इलाक़े की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्यगत स्थिति तो बिगड़ी ही, विकास की असंतुलित और एकांगी प्रक्रिया ने पूरे इलाक़े में पर्यावरणीय क्षति को इतना बढ़ा दिया कि इलाक़े की कई नदियाँ मृतप्राय: हो गयीं।¹⁷ श्रीपाद धर्माधिकारी ने अपनी पुस्तक *अनरेवलिंग भाखड़ा : एसेसिंग द टेंपल ऑफ़ रिसर्जेंट इण्डिया* में आधुनिक भारत के मंदिर की नेहरूवादी अवधारणा को चुनौती देते हुए भाखड़ा नांगल को ज़्यादा से ज़्यादा एक सामान्य परियोजना माना।¹⁸ उनके अनुसार, जिन लोगों को लगता है कि भाखड़ा के कारण हरियाणा-पंजाब में हरित क्रांति आयी वे दरअसल मुग़ालते में जी रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के पीछे मुख्य भूमिका भूजल आधारित ट्यूबवेल से की जाने वाली सिंचाई की थी, न कि भाखड़ा नांगल की।¹⁹

तीसरा दृष्टिकोण बाढ़-नियंत्रण के संबंध में एक समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करता है। इस दृष्टिकोण को अमेरिका के संदर्भ में फ़िलिप डब्ल्यू. विलियम्स व बांग्लादेश के संदर्भ

¹⁶ दिलचस्प है कि जुलाई-अगस्त में बिहार की राजधानी पटना में जब बाढ़ का पानी के प्रवेश करने से अफ़रातफ़री मची, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कपिल भट्टाचार्य के पाँच दशक पहले कहे कथन को फिर से दोहराते हुए कहा कि 'बिहार में बाढ़ का कारण फ़रक्का बाँध है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए.'

¹⁷ हेमंत व रणजीव (1991).

¹⁸ श्रीपाद धर्माधिकारी (2005).

¹⁹ वही.



में इम्तियाज़ अहमद सरीखे विचारकों ने आगे बढ़ाया। फ़िलिप विलियम्स²⁰ ने अपने लेख 'प्लड कंट्रोल वर्सेज़ प्लड मैनेजमेंट' में अमेरिका में मिसिसिपी मिसोरी नदी में 1993 में आयी बाढ़ के विशेष संदर्भ में बाढ़-नियंत्रण की सीमाओं को रेखांकित करते हुए कहा है कि बाढ़-नियंत्रण पूर्ण रूप से सम्भव नहीं है, इसलिए इसके स्थान पर बाढ़ के पानी का उपयोग निश्चित दिशा में किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में बाढ़-नियंत्रण के स्थान पर वे बाढ़-प्रबंधन का समर्थन करते हैं।²¹ विलियम्स के तर्कों को आगे बढ़ाते हुए इम्तियाज़ अहमद²² ने अपने लेख 'गवर्नेस ऐंड प्लड' के अंतर्गत गवर्नेस की पूरी संकल्पना के भीतर बाढ़-प्रबंधन के विषय को रेखांकित किया है। अहमद ने बांग्लादेश में 1998 में आयी बाढ़ के दौरान बरती गयी सरकारी कोताही की ओर ध्यान खींचते हुए विशेष रूप से वीजीएफ़ (वनरेबल ग्रुप फ़िंडिंग) कार्यक्रम की विफलता पर प्रकाश डाला है। अहमद द्वारा प्रायोजित बाढ़ संबंधी गवर्नेस की अवधारणा के दो हिस्से हैं— पहला, पूरी प्रक्रिया में सरकारी शक्ति व प्रभुत्व को शिथिल करना, दूसरा, बाढ़ के साथ जीने की संस्कृति को पुनर्जीवित करना।²³

बहरहाल, यह शोध पत्र इस तीसरे दृष्टिकोण को सैद्धांतिक आधार बनाते हुए भारत एवं विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में एक वैकल्पिक बाढ़-नीति की सम्भावनाएँ तलाशता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़-प्रबंधन के विस्तृत दायरे में एक वैकल्पिक समाधान की तलाश करना भी है ताकि लोक-ज्ञान और राज्य आधारित हाइड्रॉलॉजिकल ज्ञानमीमांसा के बीच एक संवाद स्थापित किया जाए।

II

शोध पद्धति

शोध²⁴ के अंतर्गत मूल रूप से गुणात्मक प्रणाली (क्वालिटेटिव मेथड) का प्रयोग किया गया है। चयनित क्षेत्र की बाढ़ संबंधी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विस्तार से प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत ज़िला गज़ेटियर,²⁵ शोध-प्रबंध, संस्मरण,²⁶ जनगणना रपट, अखबार, पत्र-पत्रिकाओं व सरकारी दस्तावेजों, बाँध व बाढ़ से संबंधित औपनिवेशिक काल की निजी फ़ाइलों व चिट्ठियों का इस्तेमाल किया गया है। प्राथमिक स्रोत में एथ्नोग्राफ़िक अध्ययन²⁷ भी शामिल है। इस प्रविधि के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित इलाक़े में रहकर वहाँ के जनजीवन को जानने समझते हुए, उनके स्थानीय लोक-ज्ञान को समझने-बूझने व पर्यवेक्षित करने की कोशिश की गयी है। मैंने विशेष रूप से सहभागी प्रेक्षण²⁸ का प्रयोग किया है। द्वितीयक स्रोत के

²⁰ फ़िलिप डब्ल्यू. विलियम्स (1999).

²¹ वही.

²² इम्तियाज़ अहमद (1999).

²³ वही.

²⁴ इस विषय पर शोध के लिए मुख्य रूप से 'रैंडम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग' का प्रयोग किया है। फ़्रील्ड वर्क के दौरान लिए गये विस्तृत साक्षात्कारों के लिए विशेष रूप से स्नो बॉल सैम्पलिंग का प्रयोग किया गया है। स्नो बॉल सैम्पलिंग का प्रयोग विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित इलाक़े के लोग, समाजसेवी, स्थानीय पत्रकार व अन्य बुद्धिजीवियों के साथ-साथ हाइड्रॉलॉजिकल ज्ञान रखने वाले इंजीनियरों के साथ विस्तृत बातचीत की गयी है।

²⁵ पी.सी. रायचौधरी (1963).

²⁶ जॉन बिम्स (1961).

²⁷ गौरतलब है कि एथ्नोग्राफ़िक प्रविधि का प्रयोग गुणात्मक शोध प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। एथ्नोग्राफ़िक प्रविधि का आशय है, लोगों के बारे में लेखन. मुकुलिका बनर्जी ने एथ्नोग्राफ़ी प्रविधि की विशेषता रेखांकित करते हुए कहा है कि इसके अंतर्गत सामाजिक परिकल्पनाओं को विशेष रूप से संगृहीत किया जाता है। एथ्नोग्राफ़रों में तस्वीरों, कहानियों, किंवदंतियों के प्रति विशेष आग्रह होता है, जिसके जरिये यह जानने में सहाय्य होती है कि किस तरह से लोग अपने रोज़मर्रा चिंतन को साझा करने और उसे बनाए रखने में विशेष रुचि रखते हैं. विस्तार से पढ़ें बनर्जी (2007), बनर्जी (2012); कुमार (2015).

²⁸ सहभागी प्रेक्षण या पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन के अंतर्गत रिसर्चर अपने शोध स्थल में बाहरी व भीतरी घटनाओं व गतिविधियों के बीच एक अंतर्क्रिया करते हुए उसका सूक्ष्म रूप से देखने की कोशिश करता है. एक तरफ़ जहाँ इसके अंतर्गत विशिष्ट व खास विश्वासों, मान्यताओं



तहत मुख्य रूप से हाइड्रॉलॉजिकल पक्ष से संबंधित साहित्य, बाँध व बाढ़ से जुड़े साहित्य का अध्ययन किया गया है। अपनी परिकल्पना के विश्लेषण हेतु भी स्रोतों का प्रयोग किया गया है। शोध से जुड़े अभिलेखागारीय और एथ्नोग्राफिक स्रोतों का समन्वय करके उसके साथ द्वितीयक स्रोतों को भी उनके साथ समन्वित किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत अंतर्विषयक स्रोतों का भी प्रयोग किया है। नदी, बाढ़ व बाँध से जुड़े हिंदी, अंग्रेजी²⁹ व मैथिली³⁰ भाषा में स्थानीय गीतों, मुहावरों व कविताओं का भी इस्तेमाल है।

III

अध्ययन के लिए महानंदा बेसिन³¹ स्थित बिहार के कटिहार ज़िले में दो गाँवों का चयन किया गया है। गौरतलब है कि बाढ़ प्रभावित गाँवों के चयन के लिए स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से शोध-पद्धति चुनी गयी है। इसीलिए रिबर साइड³² व कंट्रीसाइड³³ के आधार पर क्रमशः दो गाँवों, भर्री व सगुनिया, का चयन किया गया। इसे निम्न तालिका द्वारा भी देखा जा सकता है :

गाँव	पंचायत	ब्लॉक	रिबर साइड	कंट्री साइड
भर्री	भर्री	कदवा	स्थित	
सगुनिया	मोहम्मदपुर	कदवा		स्थित

ग्राम भर्री : रिबर साइड की दास्तान ...

कदवा ब्लॉक में भर्री पंचायत स्थित गाँव भर्री³⁴ भौगोलिक रूप से कटिहार ज़िले से करीब तीस किलोमीटर दूर स्थित है। कटिहार शहर से दण्डखोला भमरैली होते हुए सौनेली और वहाँ से कदवा

व व्यवहारों के आधार पर फ़्रील्ड से प्राप्त ज्ञान का संचय किया जाता है वहीं दूसरी तरफ़ प्राप्त ज्ञान का बाहरी संदर्भों में भी अर्थ तलाशने की कोशिश की जाती है। जैसा कि क्लिफ़र्ड ने रेखांकित किया है, 'पार्टिसिपेंट आब्ज़र्वेशन विरोधाभासी व विवादास्पद भी प्रतीत होता है, परंतु इसे अनुभवों व विश्लेषणों के आपसी संवाद या डायलैक्टिक के आधार पर पुनः व्यवस्थित करने पर इसके प्रति गम्भीरता बढ़ जाती है' (क्लिफ़र्ड (1983) :127)।

²⁹ रिबर साइड स्थित एक गाँव में जब मैं एक ग्रामीण से बाँध व तटबंध बनाने में टेकेदार-राजनेता-सिविल इंजीनियर के निहित स्वार्थों को समझने की कोशिश कर रहा था तब उसने समझाते हुए कहा, 'अरे सर। यहाँ सबके मूल में पैसा है, साहेब लोग अपना पॉकेट गर्म करने के लिए बाँध को तोड़वाते हैं और फिर बनाने की पेशकश करते हैं, बाँध और तटबंध बनाने में पैसा जो होता है, हम तो यही कहेंगे साहेब 'मनी इज़ मनी, स्वीटर दैन हनी'। इस प्रकार बाढ़ पीड़ित स्थानीय लोगों द्वारा बोले गये अंग्रेजी के मुहावरों को भी संग्रहित किया गया है।

³⁰ बाढ़ से प्रभावित स्थानीय आबादी कई बार बाँध का विरोध अपने स्थानीय मैथिली भाषा में कहे गये कहावतों मसलन 'बाढ़ से जीव बाँध से मरब' के रूप में करती है।

³¹ जब भी बिहार में बाढ़ की बात का मतलब है केवल कोसी के बाढ़ के बारे में ही बातें होना। जबकि बिहार में कोसी के अलावा, कमला बलान, महानंदा, गंडक, बागमती नदियाँ भी बाढ़ का कहर बरपाती हैं। इस लिहाज से यह शोध लेख महानंदा बेसिन के इलाके में बाढ़ की कहानी को प्रस्तुत करती है।

³² रिबर साइड की शब्दावली बाढ़ प्रभावित इलाके में बहुत लोकप्रिय है। बाढ़ प्रभावित इलाके में बाँध के अंदर के इलाके को रिबर साइड कहते हैं। रिबर साइड के लोग नदी में पानी की धारा अधिक होने पर बाँध को काट देते हैं।

³³ बाढ़ प्रभावित इलाके में बाँध के बाहर के इलाके में बसने वाली आबादी कंट्रीसाइड कहलाती है। जब रिबर साइड के लोग बाँध को काटते हैं तब कंट्रीसाइड के लोग रात भर बाँध की सुरक्षा के लिए जागते रहते हैं। इस दौरान कई बार दोनों के बीच तनावपूर्व संबंध भी देखने को मिलता है।

³⁴ 2011 की जनसंख्या के आधार पर भर्री गाँव की कुल आबादी 3922 है जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या क्रमशः 431 व 261 है। कदवा ब्लॉक के अंतर्गत कुल 30 पंचायतें शामिल हैं, इसमें प्रमुख हैं चीनी धनगामा, शिकारपुर, घरपसिया, परभैली, गिठौरा, सगरथ, मोहम्मदपुर, कुम्हरी, भर्री, गोपीनगर, तैय्यबपुर, तैतलिया, बिजहारा, रिजवानपुर, मध्यपुर, चांदर, शेखपुर, भूनगर, जाजा, सिकोरना, कदवा, भोगाँव, पीलागढ़, कुसेल, उन्नासो पंचगड़ी, बेनी जलालपुर, बेलोन, नीत्सा। भर्री पंचायत के अंतर्गत आठ गाँव शामिल हैं जिसमें प्रमुख हैं भर्री, देवगाँव, बैरिया, बधिया, डिबरी, ब्राह्मण और सारणपुर।



थाना वाया कुमरी चौक होते हुए उत्तर दिशा की तरफ चार किलोमीटर जाने पर भरी गाँव पहुँचा जा सकता है। इस गाँव में मुख्य रूप से आठ टोले मोहल्ले हैं जिसमें भरी गाँधी टोला, भरी बलवा टोला, भरी बलवा टोला (छोटकी), मुखियाजी का पुराना टोला, दो कुशवाहा टोले, दो संथाली टोले, एक महादलित टोला, एक मुसलमान टोला (बगुनरेखा, बरावाद) तथा एक भरी पश्चिम टोला प्रमुख है।³⁵ ऐतिहासिक रूप से देखें तो भरी गाँव बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि महानंदा नदी पहले इसी गाँव के बीच से गुजरती थी। गाँव में एक प्राचीन दुर्गा मंदिर है जहाँ प्रति वर्ष दुर्गा पूजा के भव्य मेले का आयोजन होता है। लोक मान्यता यह भी है कि सबसे पहले इस गाँव पर राजपूत राजाओं का आधिपत्य था, परंतु करीब दो सौ वर्ष पहले यहाँ की ब्राह्मण आबादी ने उनसे नीलामी में यह गाँव हासिल किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भरी गाँव प्राचीन काल से ही बाढ़ प्रभावित रहा है। पूर्व में महानंदा की बाढ़ के साथ-साथ इस इलाके में कोसी नदी की बाढ़ भी कोसी परवान नदी के माध्यम से आती रही है। सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश पर नजर डालने से पता चलता है कि टोला-मोहल्ले में बँटा भरी गाँव में धानुक जाति³⁶ के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद महादलित³⁷ व कुशवाहा जाति³⁸ के लोग रहते हैं। मुसलमानों की भी अच्छी ख़ासी आबादी गाँव में मौजूद है। गौरतलब है कि गाँव में संथाल जनजाति के भी दो टोले बसे हुए हैं। उनके करीब सौ घर हैं। महादलितों के एक टोले में करीब ढाई सौ की आबादी है।

जनेर या झिंझर के लुप्त होते गीत

सांस्कृतिक रूप से देखें तो भरी गाँव के वासियों की सांस्कृतिक परम्परा में परम्परागत पर्व-त्योहारों के साथ-साथ नदियों में जनेर खेलने के प्रति गहरी उमंग रही है। नदी संस्कृति का हिस्सा रही है, और इसी तरह नदी के किनारे गाना-बजाना भी एक सांस्कृतिक धरोहर का अंग है।³⁹ नदी व बाढ़ के पानी के मुताल्लिक जलचर और नौका विहार की परम्परा भी रही है। भरी निवासी नरेंद्र नाथ ठाकुर के अनुसार, 'बाँध बँधने से हमारा सब कुछ चला गया, पहले लोगबाग चाँदनी रात में नाव पर चढ़कर जनेर खेलते थे। सभी अपने परिवार के साथ नाव पर ही स्टोव, खाने-पीने की सामग्री लेकर नौका विहार करते थे। नाव पर ही लोग खाना बनाते, खाते, नाच-गाना व गीत-संगीत का आनंद लेते थे। जो लोग नाव में जनेर नहीं खेलते थे वे भी इसे देखने जाते थे। आज के समय में बाँध बँधने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह रुक गया है, बारिश भी नहीं हो रही है, बाढ़ अपने साथ लाने वाली सम्पन्नता भी नहीं ला रही है। ऐसे में जनेर की परम्परा का धीरे-धीरे लोप हो गया है।'⁴⁰ दिलचस्प है कि जनेर की

³⁵ स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार।

³⁶ परम्परागत रूप से धानुक जाति की मुख्य जीविका जाति-व्यवस्था से युक्त समाज में कुएँ से पानी लाना व दूसरे गाँव में उपहार पहुँचाने के काम पर निर्भर थी।

³⁷ नीतीश कुमार की सरकार ने दलित जाति के भीतर अत्यंत पिछड़ी जातियों को महादलित का नाम दिया था, जिसके अंतर्गत 22 दलित उपजातियों में से अब तक 21 को महादलित में शामिल किया जा चुका है।

³⁸ कुशवाहा या कोयरी जाति के लोग मुख्य रूप से सब्जी उपजाने का काम करते हैं। अपने व्यवसाय की सर्वोच्चता को निरूपित करते हुए अक्सर वे कहते हैं 'नौकरी करअ तो सरकारी, खेती करअ तो तरकारी'।

³⁹ पंकज कुमार झा (2014)।

⁴⁰ बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जब तटबंध और बाँध नहीं बने थे तब वहाँ के लोकजीवन में जनेर खेलना और जनेर गीत के गाने का ख़ासा महत्त्व था। जनेर लोगों के बीच लोक-साहचर्य, सामाजिक पूँजी और सामुदायिक सहभागिता के अद्भुत रूपक के तौर पर स्थापित था। कोसी, कमला-बलान, बागमती और महानंदा के इलाके में जनेर की प्रथा को स्थानीय जुबान में झिंझर, झझेर, कस्तीखोरी या कस्तीबाजी भी कहा जाता था। पहले सावन-भादों के ठहाटह इंजोरिया यानी चाँदनी रात में लोग-बाग नाव में सवार होकर जनेर खेलने जाते थे। नाव पर ही लोग नाचते-गाते-झूमते थे और आनंदित होते थे। कई बार महिलाएँ नाविक को चिढ़ाते हुए गीत भी गाया करती थीं। इन गानों का मर्म यही होता था कि नाविक हमें हाट-बाज़ार ले चलो ताकि हम तेल, सिंदूर और नये कपड़े खरीद सकें। नवविवाहित महिलाओं का भी हुजूम किशती पर सवार निकलता था। उनके लंबों पर यही गीत होता था, 'धीरे चलो नदिया...तू धीरे चलो रे, जाना है मुझको पिया जी के पास हो'। पूरे साल लोग जनेर के मौके का इंतज़ार करते थे।

इस प्रथा का जिक्र आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु ने भी अपने रिपोर्टाज *ऋणजल धनजल* में किया है। रेणु ने लिखा है, 'गाँव के लोग जिनके पास नाव की सुविधा नहीं होती, वह सामान्य तौर पर केले के पौधों का भेला बनाकर भी जनेर का आनंद लेते थे। वहीं, जमींदार लोगों के पास नाव होते थे और वह नाव पर हारमोनियम-तबला के साथ झिझिर या जल विहार करने निकलते थे।'⁴¹

बाढ़-नियंत्रण की राजनीति

भरौँ गाँव के लोगों के अनुसार गाँव की यह त्रासदी रही है कि उनके गाँव यानी रिवर साइड से कोई भी सांसद और विधायक चुन कर नहीं आये। जो भी नुमाइदे चुन कर आये हैं वे कंट्रीसाइड से हैं इसलिए वह उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनहीन रहे हैं। बाँध और तटबंध की राजनीति से आज गाँव के सामने और विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है। बाढ़ की त्रासदी का असली स्वरूप बाढ़ के उपरांत होने वाले राहत और पुनर्वास की राजनीति से जुड़ा हुआ है। भरौँ गाँव निवासी अनिरुद्ध महतो के अनुसार, 'सरकार की तरफ से कभी भी समुचित राहत व पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गयी है। भरौँ सहित सभी रिवर साइड के बाढ़ प्रभावित गाँवों को केवल गुड़ और चूड़ा ही बाँटा गया। कई बार ऐसा भी होता है कि गाँव के रसूख वाले लोगों व उनके रिश्तेदारों को ही राहत व सामग्री मिल पाता है और जब रिलीफ बँट जाती है तब उसकी सूचना दूसरे मोहल्ले टोले के लोगों को मिलती है।' गौरतलब है कि राहत व पुनर्वास के बँटवारे के दौरान जातीय सड़ांधता को भी देखा गया है। भरौँ गाँव के संथाल टोला व महादलित टोले के निवासियों से हवाले से यह भी ज्ञात हुआ है कि रिलीफ बँटवारे के समय जातिवाद हावी रहता है। निचली जातियों के लोगों से रुखा व्यवहार किया जाता है, उनपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।⁴²

एक धक्का और दो बाँध को तोड़ दो ...

भरौँ गाँव के भीतर लोगों द्वारा सरकार द्वारा बनाए गये बाँधों के काटने⁴³ की भी घटनाएँ देखी गयी हैं। बाँध के भीतर स्थित भरौँ के लोग नदी में पानी की धारा तेज होने पर अक्सर बाँध काटते हैं। इस संदर्भ में 1987 के बाढ़ के समय की घटना महत्वपूर्ण है जब बाँध के भीतर रहने वाले भरौँ गाँव के निवासियों ने कचौड़ा बाँध काटा था। भरौँ गाँव के लोगों की छवि पूरे इलाके में बाँध विरोधी के रूप में रही है। यहाँ के निवासी अक्सर बाढ़ की आपदा होने पर बाँध काटते हैं। भरौँ सहित पूरे कदवा पंचायत में आने वाले रिवर साइड स्थित गाँवों की आबादी बाँध का विरोध *एक धक्का और दो, बाँध को तोड़ दो, बाँध हटाओ कदवा बचाओ* के नारे के साथ करते रहे हैं।⁴⁴ बाँध के कारण भीतर स्थित गाँव यानी रिवर साइड के लोगों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गयी है। बाढ़ का पानी बाँध के भीतर रुक जाता है, उसका जमाव हो जाता है, जिससे यहाँ के लोग मनमाफिक फ़सल नहीं उपजा पाते हैं। भरौँ निवासी चाँद खान के

⁴¹ फणीश्वरनाथ रेणु (1977)।

⁴² गाँव के संथाल टोला व महादलित टोला के लोगों ने बताया कि जब अफसर राहत का अनाज देने जाते हैं, तो वे लोग उनसे जाति पूछते हैं, और जाति-बिरादरी का नाम जानने के उपरांत वे एक मुट्टी में चुड़ा-मुड़ी देकर उन्हें आगे बढ़ने को कहते हैं।

⁴³ दिल्ली स्थित एक खबरिया चैनल में पत्रकार व रिवर साइड निवासी मनीष के अनुसार 14 जुलाई, 2013 में वे अपने गाँव में थे। उस दिन विवाह का लग्न काफ़ी जोरों पर था। कचौड़ा बाँध के आसपास के गाँवों में उस रात होने वाली शादी में पुलिस-प्रशासन ने किसी भी बारात को बँड बजाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि पुलिस को अंदेशा था कि रिवर साइड के लोग बँड की आवाज़ का लाभ उठा कर बाँध न काट डालें।

⁴⁴ बाँध के संदर्भ में उपरोक्त नारा अरविंद सिन्हा द्वारा निर्देशित 75 मिनट के एक वृत्त चित्र 'दुई पाटन के बीच' में से लिया गया है जिसमें बिहार में 1987 में आये बाढ़ के बाद कदवा प्रखण्ड में कचौड़ा बाँध को काटने के सजीव दृश्य को दिखाया गया है। कचौड़ा बाँध को काटने वाले लोगों का मानना था कि बाँध से फ़ायदा केवल ठेकेदारों, इंजीनियरों तथा महानंदा परियोजनाओं के अफसरों को है, आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, आम आदमी का फ़सल तो 25 सालों से लगातार डूब रहा है।



तटबंध कटने के बाद बाढ़ का नजारा

पहले इस इलाके में स्थानीय लोगों को बाढ़ के भयावह प्रवाह से भय होता था। परंतु सभी बाढ़ के पानी का कुछ अंश ज़रूर चाहते थे। 1987 की बाढ़ के समय जब रिवर साइड के लोगों ने बाँध कांटा तो बाढ़ का पानी कंट्रीसाइड में भी जाता था। लोग इस पानी से खेती-किसानी, मछली पालन आदि करते थे। परंतु 2010 में तटबंध बँधने के उपरांत अब कंट्रीसाइड के लोगों को नदी के पानी के लिए लालायित होना पड़ता है। सगुनिया निवासी सत्तर वर्षीय सलमा बेगम बाढ़ के पानी को अपने जीवन का एक महत्त्वपूर्ण ज़रिया बताते हुए बहुत मार्मिक अंदाज़ में कहती हैं, 'बाढ़ से जीयब, बाँध से मरब।'

अनुसार बाँध अगर इस इलाके में बना तो यहाँ के लोग कबई मछली की तरह तैरेंगे। अभी सरकार का प्रस्ताव है कि महानंदा के पश्चिमी किनारे पर बाँध बनाया जाएगा जिससे बाँध की चौड़ाई 15-16 किलोमीटर से घटकर तीन किमी हो जाएगी। वैसी स्थिति में बाढ़ कितनी प्रलयंकारी होगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। लोगों के छप्पर के ऊपर से पानी निकलेगा। महत्त्वपूर्ण है कि महानंदा के पूर्वी किनारे पर तटबंध है और पश्चिमी किनारे पर तटबंध बनाने की बात हो रही है।⁴⁵

बाढ़-बाँध के प्रभाव से बदलती खेतीबाड़ी

भर्री पंचायत स्थित गाँव परम्परागत रूप से खेतीबाड़ी में सम्पन्न रहा है। जब बाँध व तटबंध नहीं बने थे तब बाढ़ का पानी मुक्त रूप से इस इलाके में आता था और यहाँ के लोग धान-गेहूँ उपजाते थे। इससे पूरे इलाके में बहुत सम्पन्नता थी। यही कारण है कि पूरे इलाके में भर्री पंचायत को मिनी पंजाब⁴⁶

⁴⁵ अनुमान है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित बाँध निर्मित होने पर दस पंचायतें प्रभावित होंगी, जिसमें प्रमुख रूप से सिकोरना, घनगाँवा, चाँदपुर, गोपीनगर, जाजा, तैतलिया, घमरसिया है। कदवा के पूर्व विधायक उस्मान गनी खान ने एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य देते हुए कहा कि बाँधोव के पास महानंदा नदी का बँटवारा है। महानंदा पहले उधर होकर (बारसोई) गुज़रती थी तथा इधर (कदवा प्रखण्ड) से कंकड़ नदी गुज़रती थी। परंतु महानंदा नदी अब इधर से गुज़रने लगी। जाहिर सी बात है अगर वहीं खुदाई की जाए तो पानी का बँटवारा ठीक से हो जाएगा, जीवन इधर भी आसान होगा और उधर भी अमन-चैन आ जाएगा।

⁴⁶ यहाँ मिनी-पंजाब का प्रयोग एक रूपक के रूप में किया गया है। महत्त्वपूर्ण है कि पंजाब गेहूँ की भरपूर पैदावार के कारण काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। ऐसी मान्यता रही है पंजाब में आयी खुशहाली के पीछे भाखड़ा नाँगल बाँध का हाथ रहा है, जिसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, जबकि इस विषय पर ठीक इसके विपरीत मत को देखा जा सकता है। श्रीपाद धर्माधिकारी (2005), *अनरेवेलिंग भाखड़ा* (अनु. विनीत तिवारी), बुक्स फ़ॉर चेंज, नयी दिल्ली।

के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन पिछले पाँच-छह वर्षों से गेहूँ से स्थानीय किसानों को कोई मुनाफ़ा नहीं हो रहा है। मज़दूरी के खर्च में भी वृद्धि हुई है। साथ-साथ कटनी और तैयारी के वक़्त भी मज़दूरी की समस्या सामने आयी है।⁴⁷ गौरतलब है कि पहले इस इलाक़े में फ़्लैश फ़्लड आती रही है अर्थात् बाढ़ का पानी 3-4 दिन ही रहता था। ऐसे में धान की खेती इस इलाक़े में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। जैसे ही इलाक़े में बाँध बना, जल-जमाव की समस्या भी आने लगी। धीरे-धीरे खेती की पूरी प्रणाली समाप्त होने लगी।⁴⁸ अब इस इलाक़े में धान की खेती नहीं होती, थोड़ा बहुत गरमा क्रिस्म की धान उपजाई जाती है। जूट की खेती भी लगभग समाप्त हो गयी है। इस तरह बाढ़ की आशंका के भय से बाँध के भीतर की आबादी की अर्थव्यवस्था बिलकुल समाप्त होने के कगार पर है।⁴⁹ भरी के लोग साल में एक ही फ़सल उगाते हैं— मक्का या गेहूँ। साथ-साथ जो कुछ भूमि पहले सूख जाती है वहाँ सरसों की खेती भी होती है।⁵⁰ चूँकि परम्परागत खेती से लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए स्थानीय किसानों ने अपने खेती-बाड़ी का पैटर्न ही बदल दिया है। इस बदलते पैटर्न के तहत भरी के किसानों ने मक्के की खेती शुरू कर दी है।⁵¹ बहरहाल जिन किसानों के पास मक्के की खेती के लिए पूँजी नहीं है उनके घर से लगभग दो-तीन जवान लोग बाहर आजीविका के लिए पलायन कर रहे हैं।

क्या हो विकल्प ?

विज्ञान प्रेरित हाइड्रॉलॉजिकल ज्ञान पर आधारित बाँध व तटबंध का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने बाँधों को ज़रूर काटा, परंतु बदलती परिस्थितियों में भरी की आम आबादी ने 'स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल' की तर्ज पर लघु तकनीक का समर्थन भी किया।⁵² यही कारण है कि इस इलाक़े में हो रहे जल-जमाव से निपटारे के लिए लोगों ने स्लुइस गेट जैसी तकनीक के निर्माण को आवश्यक बताया। इसके साथ ही साथ स्थानीय लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे इलाक़े में बाढ़ की त्रासदी में कमी आ सकती है। जैसे, (क) महानंदा का एक तट बाँधा गया है तो दूसरे तट को भी बाँधा जाए। (ख) झौआ के पास पुल का मुँह सँकरा है, जिसमें बालू भर जाती है। इसे साफ़ करके, निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए जिससे जो धारा मृत हो चुकी है उसे जीवित किया जा सके। (ग) बागडौब

⁴⁷ भरी निवासी सरयू मण्डल व गाँव के अन्य लोगों से बातचीत के आधार पर, दिनांक, 23 मार्च, 2013.

⁴⁸ शोध के लिए चयनित अन्य गाँवों में भी हमने जल-जमाव की समस्या देखी जिससे मिट्टी बंजर होती जा रही है। महानंदा बेसिन स्थित सिकटिया गाँव में जल-जमाव से बंजर हुई ज़मीन के संदर्भ में दिनेश मिश्रा ने अपनी पुस्तक *बंदिनी महानंदा* में इलाक़े के कांत लाल मण्डल के हवाले से कहा है, 'ऐसे में मेरा खेत रेगिस्तान में बदल गया है और मैं उस रेगिस्तान में घूमने वाले ऊँट में बदल गया हूँ। मैं अब आदमी कहाँ रहा, मैं तो जानवर हो चुका हूँ। मेरे बाबा ने धान पैदा किया है, मेरे पिताजी ने गेहूँ पैदा किया और मैं ककड़ी और फूट पैदा करूँगा ... यह तटबंध नहीं मृत्युबंध है.'

⁴⁹ गाँव में एक तरफ बाँध बनने से और दूसरी तरफ एन.एच (नेशनल हाईवे) के कारण पानी का प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए जल-जमाव की स्थिति देखी जाती है जिसके कारण किसान अपने हिसाब से फ़सल नहीं उपजा सकते। गौरतलब है कि किसानों की बर्बाद फ़सल के प्रति भी सरकार में जागरूकता का अभाव साफ़ दिखाई पड़ता है। गाँव में विस्तृत शोध के दौरान सभी ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि यहाँ का पूरा सिस्टम ही खराब है, सरकार की तरफ से जो बाढ़ से जुड़ी रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें बाढ़ से क्षतिग्रस्त सामग्रियों की जो सूची भेजी जाती है, उसमें आँकड़ों के साथ फेर-बदल किया जाता है। इसलिए फ़सल बर्बाद होने पर भी किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता।

⁵⁰ ग्रामीणों से बातचीत पर ही यह जानकारी मिली कि पहले सरसों की उपज ऊँची भूमि में होती थी, परंतु अब मीडियम भूमि यानी जो भूमि सूखी हो उसमें भी इसको उपजाया जा सकता है।

⁵¹ भरी के विपरीत इससे दस किमी दूर स्थित एक अन्य गाँव बोवरा गिटोरा में यह नयी जानकारी मिली कि इस गाँव में मकई की खेती कम होती है जबकि धान, सरसों व दलहन की खेती लोग अधिक करते हैं। गाँव मुख्य सड़क से करीब बीस किलोमीटर दूर है इसलिए बाज़ार तक सही समय तक मक्का पहुँचाने में क़ाफ़ी लागत आएगी इसलिए यहाँ के लोग मकई की खेती नहीं करते।

⁵² विस्तृत फ़ील्ड वर्क के दौरान कोसी परियोजना से जुड़े इंजीनियरों से बातचीत के दौरान मैंने यह पाया कि छोटी तकनीक की आवश्यकता को कभी नकारा नहीं जा सकता। उनके अनुसार, स्लुइस गेट जैसी तकनीक की सफलता क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु आदि पर निर्भर करती है। महानंदा बेसिन के इलाक़े की मिट्टी बलुई नहीं है इसलिए यह यहाँ आसानी से काम कर सकती है। कोसी के इलाक़े में जहाँ मिट्टी बलुई है इसकी सफलता पर ज़रूर संदेह है।

गाँव के पास खुदाई की जाए जिससे पानी की धारा को बाँटा जा सके। पचास प्रतिशत पानी का प्रवाह बारसोई की तरफ और पचास प्रतिशत पानी का प्रवाह झौआ की तरफ होगा। और, (घ) राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, आपदा प्रबंधन के कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए।

ग्राम सगुनिया : कंट्रीसाइड का फ़लसफ़ा ...

शोध के लिए चयनित दूसरा गाँव सगुनिया⁵³ भौगोलिक रूप से कटिहार ज़िले के कदवा ब्लॉक व मोहम्मदपुर पंचायत में स्थित है। सगुनिया गाँव भी बाढ़ प्रभावित रहा है जो कि कंट्रीसाइड यानि बाँध के बाहर स्थित है। कटिहार शहर से 28 किमी की दूरी तय करके रामपाड़ा चौक, कांटी फ़ैक्ट्री के रास्ते भमरैती, घुमसर, दण्डखोड़ा होते हुए भमरौली चौक, भमरैती चौक से पीपरागाँव, गौरीगंज होते हुए सगुनिया गाँव पहुँचा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सगुनिया गाँव काफ़ी प्राचीन है। लोक-मान्यता के अनुसार करीब दो सौ वर्ष पुराने इस गाँव का रिवर साइड स्थित अपने पड़ोसी गाँव भर्री के साथ वैसे तो रोटी-बेटी का संबंध रहा है, परंतु समय-समय पर बाढ़ की तबाही के समय रिवर साइड के लोगों द्वारा बाँध काटने से काफ़ी तबाही मची और खून-खराबा भी हुआ। सामाजिक रूप से देखें तो सगुनिया गाँव में मुख्य रूप से मुसलमान बहुसंख्यक हैं। हिंदुओं में मुख्य रूप से ततमा जाति के लोग रहते हैं। सगुनिया गाँव मुख्य रूप से दो टोले में विभाजित है— पूर्वी टोला और पश्चिमी टोला। ये दोनों टोले क्रमशः शेख टोला व धुनिया टोला के नाम से भी जाने जाते हैं। सामाजिक संदर्भ में देखें तो बाढ़ और पानी के मुद्दों पर हुई हिंसा को अगर छोड़ दें तो सगुनिया और भर्री के बीच सदैव साम्प्रदायिक सौहार्द रहा है। यहाँ की मुस्लिम आबादी में भी अपने परम्परागत पर्व-त्योहार के साथ-साथ नदियों के साथ रिश्ता नाता रहा है। हालाँकि उन्हें जनेर देखने के लिए रिवर साइड नदियों के किनारे जाना पड़ता था। परंतु वह उसका लुत्फ उठाना नहीं भूलती थी। जनेर की परम्परा के संबंध में यहाँ की एक बुजुर्ग महिला फ़ातिमा बीबी⁵⁴ ने बताया कि 'पहले जब नदी में पानी की तेज़ धार होती थी, सैलाब आता था, हम सब कश्ती में सवार होकर अपने रिश्तेदारों से मिलने झौआ से दक्षिण बहरवाल जाते थे। कश्ती पर ही मांस पुलाव बनाते और खाते थे। अब यह पूरी रवायत ही ख़त्म हो गयी। न किसी के पास कश्ती है, न ही पानी की वह रवानगी और न ही वैसी खुशहाली।' गौरतलब है कि बाढ़ के पानी आने से उनकी खेतीबाड़ी बहुत उन्नत होती थी। वे बहुत खुशहाली से इसका आनंद उठाते थे।

बाँध व बाढ़-नियंत्रण की राजनीति

कंट्रीसाइड स्थित सगुनिया गाँव में बाँध व बाढ़-नियंत्रण की राजनीति का स्वरूप थोड़ा अलग है। सगुनियावासी अखलाक के अनुसार, '1987 की बाढ़ से कोचरखाली बाड़ी का बाँध टूटा था, पानी के सैलाब को देखकर लोगों का दिल दहल गया था। लोगों को लगा कि न जाने कितना बड़ा जलजला आ गया। लेकिन बाढ़ की तबाही के बीच भी गाँव में ख़ूब मछली होती थी। बाढ़ के पानी आने से मिट्टी भी ख़ूब उर्वरक हो जाती थी, इससे रासायनिक खाद का प्रभाव भी समाप्त हो जाता था। लेकिन 2010 में बाँध बाँधा गया, इससे अब कंट्रीसाइड में पानी की क्लिलत हो गयी है, दूसरी तरफ़ मानसून नियमित नहीं होने के कारण भी किसानों को वर्षा के जल से महरूम होना पड़ा।' ⁵⁵ अखलाक की

⁵³ 2011 की जनगणना के अनुसार सगुनिया गाँव की कुल आबादी 1,399 है जिसमें 702 पुरुष और 597 महिलाएँ हैं।

⁵⁴ बातचीत के आधार पर।

⁵⁵ वही।

बातों से यह साफ़ है कि भले ही रिवर साइड के लोग जब बाँध को काटने की कोशिश करते हैं, कंट्रीसाइड की आबादी उसका विरोध करती है। बावजूद इसके कंट्रीसाइड के लोगों के लिए भी बाढ़ के पानी की उपयोगिता है। क्योंकि बाढ़ का पानी के साथ आयी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और उससे फ़सल की पैदावार खूब होती है।

बाढ़ से जीयब, बाँध से मरब

वैसे तो बाढ़ से तबाही होती है, लेकिन कंट्रीसाइड में रहने वाले लोगों के लिए बाँध बँधने के कारण अब पानी की एक बूँद भी नदी से नहीं मिल पाती है। पहले इस इलाक़े में स्थानीय लोगों को बाढ़ के भयावह प्रवाह से भय होता था। परंतु सभी बाढ़ के पानी का कुछ अंश ज़रूर चाहते थे। 1987 की बाढ़ के समय जब रिवर साइड के लोगों ने बाँध काटा तो बाढ़ का पानी कंट्रीसाइड में भी जाता था। लोग इस पानी से खेती-किसानी, मछली पालन आदि करते थे। परंतु 2010 में तटबंध बँधने के उपरांत अब कंट्रीसाइड के लोगों को नदी की पानी के लिए लालायित होना पड़ता है। सगुनिया निवासी सत्तर वर्षीय सलमा बेगम बाढ़ के पानी को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण ज़रिया बताते हुए बहुत मार्मिक अंदाज़ में कहती हैं, 'बाढ़ से जीयब, बाँध से मरब।'

मछली की लुप्त होती प्रजातियाँ

कोसी-महानंदा बेसिन के इस इलाक़े के बारे में फ़्रांसिस बुकानन⁵⁶ ने अपने गज़ेटियर में लिखा था कि इस इलाक़े में कुल 134 क्रिस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। परंतु राज्यवादी बाँध व तटबंध की राजनीति से ये प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। सगुनिया गाँव में बात करने से पता चला कि बाँध के कारण लोगों को मछली मयस्सर नहीं हो पा रही है। पहले यहाँ के लोग नदी से मछली निकालने तीन बार जाते थे। वे केवल बड़ी मछली (पईग माछ) ही निकालते थे और छोटी मछली (छोट माछ) यह कह कर छोड़ देते थे कि इस पर नदी का अधिकार है। और अब यहाँ के लोगों को अपने भोजन की थाली में मछली का स्वाद नहीं मिल पा रहा है।

बाढ़-बाँध के प्रभाव से बदलती खेतीबाड़ी

सगुनिया गाँव में 2010 में बने कचौड़ा बाँध के बाद इस गाँव में बाढ़ का पानी नहीं आता है। पहले जब पानी आता था लोग धान और गेहूँ की खेती करते थे। परंतु बाँध बँधने के बाद कंट्रीसाइड में पानी नहीं प्रवेश करता जिससे भूमि की उर्वरता घट गयी है। पहले इलाक़े के लोग गरमा धान की खेती करते थे। परंतु परम्परागत किसानों में अब गरमा धान उपजाना आसान नहीं रह गया है।⁵⁷ गरमा उपजाने के लिए पंपिंग सेट से पानी पाटना पड़ता है, ट्रैक्टर से खेती करनी पड़ती है। आम ग़रीब किसान के लिए न चाहते हुए भी यह पहुँच से बाहर होता जा रहा है।⁵⁸ उसी तरह पानी की कमी के कारण किसानों ने गेहूँ की खेती भी छोड़ दी है। केवल एक से डेढ़ बीघा ज़मीन पर ही किसान अब गेहूँ की खेती करते हैं जिससे किसी तरह जी सकें। गाँव में लोगों से बातचीत करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि आज गेहूँ में दाना नहीं होता, और दाना न होने के कारण वह घास भूसा जैसा ही प्रतीत होता है। ऐसे में वहाँ के लोगों ने अपना खेती-बाड़ी का पैटर्न बदलते हुए मक्का की खेती शुरू कर दी है। मक्का नक़दी फ़सल होने के कारण अच्छा मुनाफ़ा देती है।

⁵⁶ फ़्रांसिस बुकानन (1928).

⁵⁷ बातचीत के आधार पर.

⁵⁸ पंकज कुमार झा (2015).

क्या हो विकल्प ?

सगुनिया के लोगों से बातचीत के आधार पर तत्कालीन समस्याओं को दूर करने संबंधी प्रमुख विकल्पों पर प्रकाश डाला जा सकता है। वे चाहते हैं कि तटबंध व बाँध के बीच से स्लुइस गेट का निर्माण किया जाए जिससे कंट्रीसाइड को आवश्यकतानुसार पानी मिल जाए। जब पानी की ज़रूरत न हो, स्लुइस गेट बंद कर दिया जाए। इस तरह रिवर साइड में आने वाले अतिरिक्त पानी को, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट करता है, कंट्रीसाइड में भेजा जा सकेगा।

IV

वैकल्पिक बाढ़ नीति की सुगबुगाहट

जहाँ तक बाढ़-नियंत्रण की राजनीति का सवाल है, दोनों ही पक्षों की अपनी-अपनी सीमाएँ हैं। दोनों ही पक्षों के बीच उनकी नीतियों व उन नीतियों से जुड़ी ज्ञानमीमांसाओं के बीच आपसी संवादहीनता की स्थिति साफ़ दिखाई पड़ती है। शोध-पत्र के इस हिस्से में इन सीमाओं को रेखांकित करते हुए वैकल्पिक बाढ़ नीति की सुगबुगाहट को जाँचने-परखने की कोशिश की जाएगी।

राज्यवादी हाइड्रॉलॉजिकल नज़रिया ऊँचे बाँध के निर्माण को बाढ़-नियंत्रण के लिए रामबाण के रूप में दिखाता है, परंतु सूक्ष्मता से उसका विश्लेषण करें तो यह राज्य की बाढ़-बाँध संबंधी राजनीति का महज़ हिस्सा भर है। नेपाल में ऊँचे बाँध का सपना देखना आज की तारीख़ में यूटोपियन प्रतीत होता है क्योंकि इसके निर्माण में तीन प्रमुख समस्याएँ बाधक हैं। पहला, बिहार सरकार नेपाल के जिस क्षेत्र में ऊँचे बाँध बनाने की बात कर रही है वह पूरा इलाक़ा भूकम्प के अंदेश वाले इलाक़े में आता है। ऐसे में यहाँ ऊँचे बाँध बनाने की चाह रखना भविष्य के लिए बिन बुलाए आपदा को न्यौता देना जैसा है। दूसरा, अगर भारत सरकार ने इसको नज़रअंदाज़ करके बाँध निर्माण करने का निर्णय ले भी लिया तो क्या नेपाल इसके लिए राज़ी होगा? तीसरा, देश के जो वित्तीय हालात हैं, उसके मद्देनज़र इसके निर्माण व कार्य पूरे होने में बहुत मुश्किलें आएँगी। तब तक के लिए क्या राज्य के पास कोई वैकल्पिक नीति है? ⁵⁹

इस प्रकार हाइड्रॉलॉजिकल नज़रिये के साथ-साथ ज़मीन पर बाढ़ के साथ सहयोजन का नज़रिया भी दिखाई पड़ता है जिसका मानना है कि पारंपरिक रूप से गाँव-समाज के पास बाढ़ से लड़ने, बाढ़ से खेलने व बाढ़ के गीत-संगीत की अपनी परम्परा रही है। लेकिन हमें इस बात को भी सूक्ष्मता से देखना होगा कि बाढ़-नियंत्रण संबंधी यह परम्परागत नज़रिया भी परिपूर्ण नहीं है एवं इसकी अपनी अलग राजनीति है। आधुनिक विज्ञान प्रेरित समाज परम्परागत बाढ़ संबंधी नज़रिये की यह कह कर आलोचना करता है कि यह बाढ़ जैसी आपदा का महिमामण्डन करती है। यह भला कैसे सम्भव है जिस बाढ़ से जान-माल की इतनी हानि व भयंकर प्रकोप मचता है उसके आने का महिलाएँ गीत गाकर स्वागत करती हों। दूसरी आलोचना बाढ़ के साथ सहयोजन को एक यूटोपियन संकल्पना मानती है। उसके मतानुसार जब नदी किनारे रहने वाले लोग बाढ़ के साथ सहयोजन व प्रबंधन जानते हैं, फिर वे सहायता, राहत व पुनर्वास के लिए राज्य की ओर क्यों टकटकी लगाकर देखते रहते हैं? क्या राज्य की परिधि के बाहर बाढ़ से मुकाबला करने की मुहिम के बारे में सोचा जा सकता है? तीसरी आलोचना परम्परागत बाढ़-नियंत्रण संबंधी ज्ञानमीमांसा की यह कह कर की जाती है कि वह यथास्थितिवाद की समर्थक व परिवर्तनविरोधी है। जबकि बदलते समय में आपदा प्रबंधन की नीति व उसके नवप्रयोगों के साथ बाढ़-नियंत्रण व प्रबंधन की प्रविधि को आगे बढ़ाना होगा। इन आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि पारम्परिक बाढ़-नियंत्रण संबंधी दृष्टिकोण को भी आत्मावलोकन की आवश्यकता है।

⁵⁹ दिनेश मिश्रा (2010).



दरअसल, वैकल्पिक बाढ़ नीति अथवा वैकल्पिक बाढ़ संबंधी ज्ञान हाइड्रॉलॉजिकल समझबूझ को देशज ज्ञान से संवाद करने पर बल देता है। इस नीति के अनुसार वैज्ञानिक प्रविधि, सिविल इंजीनियरिंग के मुनाफ़ा-लागत अनुपात (बीसी रेशियो) व हाइड्रॉलॉजिकल शिक्षण-प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अहमियत अवश्य दी जानी चाहिए, परंतु उसके साथ ही स्थानीय लोगों के ज्ञान को भी बराबर प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसके साथ संवाद स्थापित करने का स्पेस प्रदान किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदाय को संसाधनों के बेहतर प्रयोग की सबसे अच्छी समझ होती है। इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।⁶⁰

वैकल्पिक बाढ़ नीति को चार भाग में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला, इसके अंतर्गत बाढ़-नियंत्रण के स्थान पर बाढ़-प्रबंधन की संकल्पना को मज़बूती प्रदान की गयी है। इसके अंतर्गत बाढ़ के साथ चलने वाली परिवहन प्रणाली, स्कूल प्रणाली व संचार प्रणाली को और विकसित करते हुए दीर्घकालिक प्रविधि के माध्यम से बाढ़-प्रबंधन पर विशेष वरीयता दी गयी है। दूसरा, वैकल्पिक बाढ़ नीति की संकल्पना के मूल में उपयुक्त तकनीक पर ख़ास बल दिया गया है जिसके अंतर्गत लोक अभिमुखी व विकास के नज़रिये से सम्प्लोषित तकनीक को अधिक प्रभावी माना गया है। तीसरा, इसके अंतर्गत बाढ़-नियंत्रण संबंधी ग़ैर-संरचनात्मक उपायों मसलन, वाटरशेड की रक्षा व उन्हें क्रायम रखना, कैचमेंट एरिया इम्प्रूवमेंट, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली व फ़्लड फ़ोरकास्टिंग तकनीक मज़बूत करने पर विशेष फ़ोकस किया गया है। चौथा, वैकल्पिक बाढ़ नीति के अंतर्गत नव-परम्परावाद की एक सैद्धांतिक विशेषता 'रिवाइवल ऑफ़ डाइंग विज़्डम' को आत्मसात् करते हुए पोखर-तालाब जैसे पुराने स्रोतों को फिर से जीवित करने पर जोर दिया गया है।

निष्कर्ष

समग्र रूप से बाढ़-नियंत्रण संबंधी सैद्धांतिक साहित्य व ज़मीनी शोध के आधार पर कहा जा सकता है कि बाढ़-नियंत्रण की पूरी शब्दावली को ही परिवर्तित करने की ज़रूरत है। अतीत के अनुभवों से भी हमने यह देखा है कि बाढ़-नियंत्रण पूरी तरह सम्भव नहीं है। अतएव बाढ़-नियंत्रण के स्थान पर बाढ़-प्रबंधन अधिक माकूल है। आज़ादी के बाद भारत में बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं, ऊँचे बाँध और तटबंधों को जिस तरीक़े से बाढ़-नियंत्रण के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया उसमें राज्य के नीति नियंताओं की अपनी राजनीति भी निहित है। बाढ़ संबंधी हाइड्रॉलॉजिकल पक्ष को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बाढ़-नियंत्रण संबंधी संरचनात्मक समाधानों (ऊँचे बाँध, तटबंध आदि) की अपनी सीमाएँ हैं। संरचनाओं का निर्माण हालाँकि आपदाओं से लड़ने के लिए किया जाता है परंतु व्यवहार में कई बार आपदा या त्रासदी काफ़ी भयंकर हो जाती है। किसी भी संरचना का आधार दुर्घटना घटित होने के उपरांत ही बहस का मुद्दा बनता है। आपदाओं का सामना इंजीनियर-नेता-ठेकेदार नहीं करते, बल्कि गाँव समाज की घनी आबादी करती है। इसी बिंदु पर इंजीनियरिंग की आधुनिक ज्ञानमीमांसा की सीमाओं को देखा जा सकता है।

इस पूरे विमर्श में हाशिये में स्थित 'लिविंग विद् फ़्लड' संबंधी दृष्टिकोण की भी अपनी राजनीति है। बाढ़ के संबंध में एक रोमानी, यूटोपियन व यथास्थितिवादी संकल्पना होने का उस पर भी आरोप लगाया जाता रहा है। इस लिहाज़ से वैकल्पिक बाढ़ नीति की सुगबुगाहट समय की आवश्यकता है। नीति निर्माण की राजनीति व आपसी वैचारिक विरोधाभासों के बीच एक नवीन लोकनीति तथा ज्ञानमीमांसा ढूँढ़ने की ज़रूरत है। परम्परावादी बाढ़ विशेषज्ञों का भी मानना है कि तकनीकी कौशल व स्थानीय अनुभवों को मिलाते हुए एक नवीन लोकनीति गढ़ने की आवश्यकता है। इसके आधार पर बाढ़ संबंधी वैकल्पिक नीति, जीवनशैली तथा आजीविका के बीच आपसी संवाद का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा।

⁶⁰ रॉबर्ट चेंबर (1983); सत्यजित सिंह (2016).



संदर्भ :

- अजय दीक्षित (1999), 'रिकंसेप्चुलाईजिंग मिटिगेशन', *सेमिनार*, 478.
- अनंत आर.एस पादके (1989), 'द पीपुल्स डैम', *इकॉनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 24, अंक 16.
- अनुपम मिश्र (1995), *आज भी खरे हैं तालाब*, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नयी दिल्ली.
-(2008), 'तैरने वाला समाज आज डूब रहा है', *सामयिक वार्ता*, नयी दिल्ली.
- अमिता बाविस्कर (1995), *इन द बेली ऑफ द रिवर : ट्राइबल क्राफ्टिक्ट ओवर डिवेलपमेंट इन नर्मदा वैली*, ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.
- आशिस नंदी (1988), *साइंस, हैजोमनी ऐंड वायलेंस*, अ रेक्विम फॉर मॉडर्निटी, ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.
- (2012), *द रोमांस ऑफ द स्टेट, ऐंड द फेट ऑफ डिसेंट इन द ट्राॅपिक्स*, ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.
- इम्तियाज अहमद (1999), 'गवर्नेंस ऐंड प्लान्ड्स', *सेमिनार*, 478.
- श्रीपाद धर्माधिकारी (2005), *अनरेवलिंग भाखड़ा*, (अनु. विनीत तिवारी), बुक्स फॉर चेंज, नयी दिल्ली.
- एस.डी. मिश्रा (1970), *रिवर्स ऑफ इण्डिया*, नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली.
- के. विट्फोगल (1957), *ओरियंटल डिस्पोजिटिव*, येल युनिवर्सिटी, न्यू हैवन.
- जॉन बीम्स (1961), *मेमॉयर्स ऑफ द बंगाल सिविलियन*, चैटो एण्ड विंड्स, लंदन.
- जेम्स सी. स्कॉट (1985), *वेपंस ऑफ द वीक : एवरी डे पेजेंट रेजिस्टेंस*, येल युनिवर्सिटी प्रेस, न्यू हैवेन.
- (1998), *सीइंग लाइक अ स्टेट : हाउ सर्टेन स्क्रीम्स टू इंप्रूव द ह्यूमन कण्डीशन हैंव फेल्ड*, येल युनिवर्सिटी प्रेस, न्यू हैवेन, सीटी.
- जी. हार्डिन (1977), 'द ट्रेजड्री ऑफ कॉमन्स', *साइंस*, सैनफ्रांसिस्को.
- जयंत बंधोपाध्याय (1999), 'नीड फॉर रियलिस्टिक व्यू', *सेमिनार*, 478.
- दिनेश कुमार मिश्रा (1990), *बाढ़ से त्रस्त-सिंचाई से पस्त*, उत्तर बिहार की व्यथा-कथा, समता प्रकाशन, पटना.
-(1999), 'द ऐबेकमेंट ट्रेप', *सेमिनार* 478.
-(2000), 'बोया पेड़ बबूल का-बाढ़-नियंत्रण का रहस्य', पृथ्वी प्रकाशन, नयी दिल्ली.
-(2001), 'लीविंग विद प्लान्ड्स', *इकॉनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 36, अंक 29.
-(2002), 'लीविंग विद द पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड्स', *पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट*, देहरादून.
-(2005), *बगावत पे मजबूर मिथिला की कमला नदी*, बाढ़ मुक्ति अभियान, पटना.
-(2006), *दुई पाटन के बीच में-कोसी नदी की कहानी*, पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट, देहरादून.
-(2008), *ट्रैण्ड बिटवीन द डेविल ऐंड द डीप सी- स्टोरी ऑफ द कोसी रिवर*, पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट, देहरादून.
-(2009), 'द इनएक्टिवल हैज हैपंड', *इकॉनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 43, क्रम 36.
-(2013), 'बाढ़ प्रभावित नदी घाटी में जल-जमाव की समस्या', *योजना*, जून.
- नागार्जुन (1985), *वरुण के बेटे*, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली.
- पंकज कुमार झा (2010), *सुशासन के आईने में नया बिहार*, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली.
-(2014), 'जनेर के गीत', *दुनिया मेरे आगे*, जनसत्ता, नयी दिल्ली.
-(2015), 'ऐ बबनी कैसे रोपब गरमा के धान', *कुछ अलग*, प्रभात खबर, पटना.
-(2015) 'बिहार एसेंबली पोल 2015 : सीमांचल्स बिगोस्ट इश्यू नोवेयर इट्स फोकस', उपलब्ध है, <http://indiatoday.intoday.in/story/bihar-assembly-polls-2015-seemanchals-biggest-issue-is-nowhere-its-focus/1/514811.html>.
-(2015), 'द वे अहेड फॉर न्यू बिहार ऐंड इट्स चैलेंज', उपलब्ध है <http://indiatoday.intoday.in/story/the-way-ahead-for-new-bihar-and-its-challenges/1/521097.html>.
-(2015), 'बाढ़ और बदहाली', *सबलोग*, दिल्ली.



-(2016), *राज्य और बाढ़-नियंत्रण की राजनीति : बिहार के कटिहार जिला के विशेष संदर्भ में*, पीएचडी शोध (अप्रकाशित), राजनीति-विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय.
-(2016), 'बाढ़ के रूप अनेक', कुछ अलग, प्रभात खबर, राँची-पटना.
- फ्रांसिस बुकानन (1928) 'एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्णिया, 1809-10', *सुपरिंटेंडेंट रिपोर्ट*, गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस, बिहार एंड ओडीशा.
- फणीश्वरनाथ रेणु (1984), *मैला आँचल*, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली.
- (1977), *ऋणजल-धनजल*, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली.
- फिलिप बी. विलियम्स (1999), 'फ्लड कंट्रोल वर्सेज फेल्ड मैनेजमेंट', *सेमिनार*, 472.
- महेश रंगराजन (सम्पा) (2007), *एनवायरनमेंटल इश्यूज़ इन इण्डिया : अ रीडर*, पियर्सन, लॉन्गमेन, नयी दिल्ली.
- रामास्वामी. आर अय्यर (2003), *वाटर : पर्सपेक्टिव, इश्यूज़, कंसर्न*, सेज़ इण्डिया पब्लिकेशन.
- राबर्ट चैंबर (1983), *रूरल डिवेलपमेंट-पुटिंग द लॉस्ट फ़र्स्ट*, हारलॉ, लॉन्गमेन
- रोहन डि'सूज़ा (1999), 'फ्लड्स', *सेमिनार*, 478.
- रोहन डि'सूज़ा (2006), *ड्रॉउंड एंड डैम्ड : कोलोनियल कैपिटलिज़्म एंड फ़्लड कंट्रोल इन ईस्टर्न इण्डिया (1803-1946)*, ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.
- वंदना शिवा (2004), *वाटर्स वार : प्राइवेटाइज़ेशन, पॉल्युशन, प्रॉफ़िट*, नवदान्य फ़ाउण्डेशन, नयी दिल्ली.
- विश्व बाँध आयोग पर नागरिक मार्गदर्शिका (2002), *सैडूप*, नयी दिल्ली.
- सत्यजित सिंह (1997), *टेमिंग द वाटर : द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ़ लार्ज डैम्स इन इण्डिया*, ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.
- ज्याँ डूज़ और मीरा सैमसन (1997), *द डैम एंड द नेशन : डिस्प्लेसमेंट एंड रिसेटलमेंट इन नर्मदा वैली*, ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.
- सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) (1991), *फ़्लड्स, फ़्लड प्लेन्स एंड एनवायरनमेंटल मिथ्स : स्टेट ऑफ़ इण्डियाज़ एनवायरनमेंट— अ सिटिज़ंस रिपोर्ट 3*, नयी दिल्ली.
-(2016), *द लोकल इन गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, डिस्ट्रीलाइज़ेशन एंड एनवायरनमेंट*, ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.
- हवलदार त्रिपाठी (2003), *बिहार की नदियाँ : ऐतिहासिक व सांस्कृतिक सर्वेक्षण*, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना.
- हेमंत (2010), *इस देश में जो गंगा बहती है*, प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली.




सामयिक विमर्श

सेकुलर / साम्प्रदायिक

एक भारतीय उलझन
के कुछ आयाम

अभय कुमार दुबे



हममें से कौन सेकुलर है और कौन साम्प्रदायिक? दरअसल, राजनीति और विमर्श के दायरे में पाले के दोनों तरफ़ दो-दो हमशक्ल मौजूद हैं। सेकुलर की भी दो किस्में हैं और साम्प्रदायिक की भी। एक अल्पसंख्यक सेकुलरवाद है और दूसरा बहुसंख्यक सेकुलरवाद। इसी तरह एक अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता है और दूसरी बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता। इन हमशकलों की मौजूदगी से बाक्रायदा वाक्रिफ़ होने के बावजूद अभी तक हम इन्हें अलग-अलग करके देखने और समझने की तमीज़ विकसित नहीं कर पाये हैं। दोनों सेकुलरवाद और दोनों साम्प्रदायिकताएँ संघर्ष और एकता के मौक्रापरस्त समीकरणों में गुँथी रहती हैं। यह पुस्तक एक निमंत्रण है सेकुलरवाद की एक ऐसी व्यावहारिक ज़मीन तैयार करने का जो दोनों तरह की साम्प्रदायिकताओं का पूरी तरह से निषेध करती हो।

भारतीय भाषा कार्यक्रम

CSDS

विकासशील
समाज अध्ययन
पीठ



वाणी प्रकाशन